



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या- 0755-2551650

क्रमांक/2044/परीक्षा समन्वय/2021

भोपाल, दिनांक- 6 जुलाई 2021

आदेश

वर्ष 2021 की परीक्षाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए प्रथमतः संस्था को ऑनलाईन प्रवेश सूची तैयार करने तथा उसके बाद परीक्षाफार्म भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2021 की मण्डल परीक्षा हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 29 मार्च 2021 नियत थी।

2- मण्डल द्वारा वर्ष 2021 की परीक्षाओं के लिए ऑनलाईन प्रवेश पत्र माह फरवरी 2021 में जारी कर दिये गये थे। उक्त तिथि के पश्चात अनेकों संस्थाओं द्वारा मण्डल में आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि उनकी संस्था के कतिपय छात्रों के नाम प्रवेश सूची में दर्ज है, किन्तु परीक्षाफार्म नहीं भरे जा सके अथवा परीक्षाफार्म भर दिये गये हैं, किन्तु शुल्क जमा नहीं की जा सकी है।

3- हाईस्कूल परीक्षा 2021 आयोजित नहीं किये जाने संबंधी मण्डल के आदेश क्रमांक /2019-2020/परीक्षा समन्वय 2021 भोपाल दिनांक 14 मई 2021 जारी किया गया है तथा हायर सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी व्यवसायी परीक्षा वर्ष 2021 आयोजित नहीं किये जाने संबंधी आदेश क्रमांक /2027-2028/परीक्षा समन्वय 2021 भोपाल दिनांक 02 जून 2021 जारी किया गया है।

4- मण्डल की हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाएँ वर्ष 2021 के आयोजन नहीं किये जाने संबंधी आदेश जारी करने के उपरांत भी मण्डल को ऐसे आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें कुछ प्रकरणों में प्रवेश सूची में नाम दर्ज है किन्तु परीक्षाफार्म नहीं भरे गये हैं तथा शुल्क भी नहीं जमा की गई है अथवा परीक्षाफार्म भर दिये गये हैं, किन्तु शुल्क जमा नहीं की गई है, तथा उनके द्वारा परीक्षाफार्म भरवाकर अथवा शुल्क जमा करवाकर प्रवेश पत्र जारी करने की मांग की गई है।

5- अतः कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए छात्र हित में ऐसे प्रकरणों के निराकरण हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया है-

अ- ऐसे प्रकरण जिनमें परीक्षाफार्म भरे गये हैं किन्तु शुल्क जमा नहीं की गई है, संबंधी आवेदन मण्डल को परीक्षा निरस्त करने की तिथि के पूर्व (हाईस्कूल के लिए 14 मई 2021 तथा हायर सेकेण्डरी के लिए 02 जून 2021 के पूर्व) प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे प्रकरणों में छात्रों की शुल्क जमा कराकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जावेगा।

ब- ऐसे प्रकरण (जिनमें केवल प्रवेश सूची में नाम दर्ज है किन्तु परीक्षाफार्म नहीं भरा गया है एवं शुल्क भी जमा नहीं की गई है अथवा परीक्षाफार्म भरा गया है, किन्तु शुल्क जमा नहीं है) परीक्षा निरस्त करने संबंधी आदेश जारी करने की तिथि के पश्चात प्राप्त हुये हैं (हाईस्कूल के लिए 14 मई 2021 तथा हायर सेकेण्डरी के लिए 02 जून 2021 के पश्चात) ऐसे छात्रों के परीक्षाफार्म भरवाकर/शुल्क जमा करवाकर भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जावेगा, किन्तु किसी भी दशा में मण्डल के पोर्टल पर दर्ज संस्था की ऑनलाईन प्रवेश-सूची से हटकर किसी भी छात्र के नवीन परीक्षाफार्म नहीं भरवाये जावेंगे। ऐसे छात्र जिनका नाम ऑनलाईन सूची में दर्ज है उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से परीक्षाफार्म भरना एवं सामान्य परीक्षा शुल्क रुपये 900/- जमा करना अनिवार्य होगा।

उक्त निर्णय कोविड-19 से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण लिया है, भविष्य में इसे आने वाले वर्षों के लिये उदाहरण नहीं माना जावेगा।

UJL
सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

// निरंतर //

पृष्ठांकन क्रमांक/२०५५/परीक्षा समन्वय/२०२१
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक-६ जुलाई २०२१

- १- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- २- आयुक्त, लोक शिक्षण, गौतम नगर, मध्यप्रदेश भोपाल।
- ३- आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
- ४- आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स मध्यप्रदेश भोपाल।
- ५- समस्त- संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- ६- समस्त-जिला पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
- ७- समस्त- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
- ८- समस्त- संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
- ९- समस्त-उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.।
- १०- समस्त-जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- ११- समस्त- प्राचार्य, जिला समन्वयक संस्थायें, मध्यप्रदेश।
- १२- आंचलिक/समस्त-संभागीय अधिकारी संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल म.प्र.।
- १३- सी.एस.ओ./जन सम्पन्न अधिकारी/पंजीयक परीक्षा/विधि सलाहकार/समस्त-सहायक सचिव/
कक्षाधिकारी/समकक्ष अधिकारी/लोकसूचना कक्ष/सुरक्षा अधिकारी, मा.शि.म.मंडल म.प्र.।
- १४- निज सचिव-अध्यक्षअति.सचिव/उपसचिव/परीक्षा नियंत्रक/वित्ताधिकारी, मा०शि०म० म.प्र.।
- १५- समस्त- प्राचार्य, मण्डल से मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थायें म.प्र.
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Ukr
सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश भोपाल